

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1040 / 2014.....जिला.....चित्तोडगढ़.....

उनवान— मै0 सांवरिया ट्रैडिंग कम्पनी बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी,

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>30.03.2015</p>	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री मनोहरपुरी – सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी के अभिभाषक श्री वी के पारीक, प्रत्यर्थी विभाग की ओर से श्री आर.के.अजमेरा उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी व्यवसायी के अभिभाषक द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमे अभिभाषक ने निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या एफ/12(16)एफडी/कर/ 2009–188 दिनांक 09.02.2015 का लाभ लेना चाहते हैं, इस हेतु प्रकरण वापस लेना (Withdraw) करना चाहते हैं।</p> <p>इस पर विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को विद्वा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप अभिभाषक श्री वी के पारीक के पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपील विद्वा करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील जरिये विद्वा खारीज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">१०३०८१५ (मनोहर पुरी) ३१.३.२०१५ सदस्य</p>	